पीजी छात्रा से उत्पीड़न: डाक्टर को नहीं मिली जमानत

सुनवाई ●कोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक पीजी छात्रा डाक्टर के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे डाक्टर आशीष सिन्हा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनके न्यायिक जांच को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। डाक्टर आशीष सिन्हा ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सरकारी सेवा में होने के कारण गिरफ्तारी से करियर बर्बाद होने की दुहाई दी थी।

कोर्ट में यह दलीलें दी गईं: डा. आशीष सिन्हा की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया कि विभागीय विशाखा समिति की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट● फाइल फोटो

की गई है। यह भी कहा गया कि वह सरकारी सेवा में हैं और यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। सरकारी वकील अमित वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील और गंभीर है।

कोर्ट ने यह कहा: कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशाट्स से यह प्रतीत होता है कि आरोपित डाक्टर ने अनुचित टिप्पणियां की हैं। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि एक चिकित्सक और विभागाध्यक्ष होने के नाते यह व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस डायरी के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने पहले भी कई बार शिकायतें की थीं और मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में आरोपित द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। न्यायालय ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी कि, एफआइआर प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होती है।

यह है मामला

एफआइआर के अनुसार, आरोपित डाक्टर पं. जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कालेज के एक प्रमुख विभाग के एचओडी हैं, उन्होंने एक महिला पीजी छात्रा के साथ लगातार गंदी टिप्पणियां कीं और उसे फेल करने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया। छात्रा ने पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 4 जुलाई 2025 को मजबूरन एफआइआर दर्ज करानी पड़ी। शिकायतकर्ता की ओर से वकील मधुनिशा सिंह ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता एक प्रतिभाशाली छात्रा है, जिसने रूस के एक मेडिकल कालेज से स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही आरोपित ने उसके करियर को नुकसान पहुंचाने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए साजिशन प्रयास किए।

जांजगीर-चांपा जिले के तीन ब्लाकों में 106 मरीज मिले, कोर्ट ने जताई चिंता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जांजगीर-चांपा जिले के तीन विकासखंडों अकलतरा, नवागढ़ और पामगढ़ में तीव्र दस्त (डायरिया) रोग तेजी से फैल रहा है। अब तक 106 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों और शिविरों में किया जा रहा है। इनमें से 78 मरीजों के नमूने निगेटिव आए हैं, जबकि 28 मरीजों की रिपोर्ट अभी लंबित है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए स्वतः जनहित याचिका पर सुनवाई प्रारंभ कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत एवं उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि जिले में व्यापक रूप से रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है।

डायरिया नियंत्रण के लिए सरकार सतर्क

डायरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दस्त रोको अभियान 2025 शुरू किया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, सीईओ, सीएमएचओ, नगर निकायों के चिकित्सा अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर स्थापित कर जांच व इलाज की सुविधा शुरू की है। मितानिनें और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। प्रत्येक मरीज की मानिटरिंग की जा रही है।